

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग-2

संख्या: 150/XXX-2/2018-30(44)2017
देहरादून दिनांक: 21 मई, 2018

अधिसूचना संख्या 150/XXX-2/2018-30(44)2017 दिनांक 21 मई, 2018 द्वारा प्रख्यापित अधीनस्थ कार्यालय वैयक्तिक सहायक संगीय कर्मचारी सेवा (सीधी भर्ती) नियमावली, 2018 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
7. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. महानिदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
9. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
12. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
13. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
14. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
16. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग-4 में मुद्रित कराकर इसकी 500 प्रतियों कार्मिक अनुभाग-2 को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
17. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर।
18. गार्ड फाईल।

संलग्नक :- यथोक्त।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग-2
संख्या 121 /XXX(2)/2018-30(44)/2017
देहरादून 21 मई, 2018

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्य में अधीनस्थ सरकारी कार्यालयों में वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारी सेवा की भर्ती को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

अधीनस्थ कार्यालय वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारी सेवा (सीधी भर्ती) नियमावली, 2018

भाग-एक

सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली अधीनस्थ कार्यालय वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारी सेवा (सीधी भर्ती) नियमावली, 2018 कही जायेगी।

(2) यह नियमावली तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा नियमावली का लागू होना

2. (1) इस नियमावली द्वारा सरकार के नियंत्रण में सभी अधीनस्थ कार्यालयों में लिपिक के पदों से गिन निम्नलिखित श्रेणी के वैयक्तिक सहायक वर्गीय पदों पर भर्ती (जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना अपेक्षित हो और जो लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर हो) नियंत्रित होगी, किन्तु इसके द्वारा उत्तराखण्ड सचिवालय, राज्य विधान मण्डल, लोक आयुक्त, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नियंत्रण से बाहर और अधीक्षण में अधीनस्थ न्यायालयों, महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड के कार्यालय और महाधिवक्ता के नियंत्रण में अधीष्टान के पद नियंत्रित नहीं होंगे।

(2) ऐसे वैयक्तिक सहायक वर्गीय पदों पर जिन पर यह नियमावली लागू होती है, सभी रिक्तियों के प्रति भर्ती इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी।

अन्य नियमों से असंगतता का प्रभाव

3. इस नियमावली और किसी विशिष्ट सेवा नियमावली के बीच कोई असंगति होने की दशा में-

(एक) इस नियमावली के उपबन्ध असंगति की सीमा तक अमिमावी होंगे यदि विशिष्ट नियम इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व बनाये गये हों, और

(दो) विशिष्ट नियमों के उपबन्ध उस दशा में अमिमावी होंगे यदि वे इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् बनाये जायें।

4. जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में—

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी अधीनस्थ कार्यालय में किसी वैयक्तिक सहायक वर्गीय पद के सम्बन्ध में, उस प्राधिकारी से है जो उस पद पर सुसंगत नियमों या आदेशों के अधीन नियुक्ति करने के लिए सशक्त हो;

(ख) "संविधान" से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है;

(ग) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(घ) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(ङ) "उच्च न्यायालय" से उच्च न्यायालय, नैनीताल अभिप्रेत है;

(च) "कार्यालय अध्यक्ष" से किसी कार्यालय के सर्वोच्च राजपत्रित अधिकारी अभिप्रेत है;

(छ) "वैयक्तिक सहायक वर्गीय कर्मचारी वर्ग" से अधीनस्थ कार्यालयों के ऐसे वैयक्तिक सहायक कर्मचारी अभिप्रेत हैं जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त करना अपेक्षित हो;

(ज) "अधीनस्थ कार्यालय" से सरकार के नियंत्रण में सभी कार्यालय अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अन्तर्गत उत्तराखण्ड सचिवालय, राज्य विधान मण्डल, लोक आयुक्त, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नियंत्रण और अधीक्षण में अधीनस्थ न्यायालयों, महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड के कार्यालय और महाधिवक्ता के नियंत्रण में अधिष्ठान नहीं हैं;

(झ) "छंटनी किया गया कर्मचारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है—

(एक) जो राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद पर स्थायी, अस्थायी या स्थानापन्न रूप में कुल एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिये जिसमें से कम से कम तीन मास की सेवा निरन्तर सेवा के रूप में होनी चाहिए, नियोजित था;

(दो) जिसे अधिष्ठान में कमी या उसका परिसमापन किये जाने के कारण सेवा से अभिमुक्त किया गया हो या किया जा सकता है, और

(तीन) जिसके सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छंटनी किया गया कर्मचारी होने का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो;

किन्तु इसके अन्तर्गत केवल तदर्थ आधार पर नियोजित कोई व्यक्ति नहीं है;

(ट) "भर्ती का वर्ष" से किसी कलेंडर वर्ष की प्रथम जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।



भाग-दो

सेवा का संवर्ग

सेवा संवर्ग

5. किसी विशिष्ट विभाग/कार्यालय में वैयक्तिक सहायक वर्गीय कर्मचारी सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अन्वयित की जाये :

परन्तु, नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद या पदों के किसी वर्ग को बिना मरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा :

परन्तु, यह और कि सरकार का प्रशासनिक विभाग, कार्मिक विभाग और वित्त विभाग के परामर्श से समय-समय पर किसी विभाग/कार्यालय में ऐसे स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकता है जिन्हें आवश्यक समझा जाये।

भाग-तीन

भर्ती

भर्ती का स्रोत

6. किसी अधीनस्थ कार्यालय में वैयक्तिक सहायक वर्गीय कर्मचारी सेवा की निम्नतम श्रेणी में भर्ती नियम 9 में यथा उपबन्धित शैक्षिक और अन्य उपलब्धियों के आधार पर नियम 17 में निर्दिष्ट चयन संस्था के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।

भाग-चार

अर्हताएं

आरक्षण

7. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य-श्रेणियों के अम्बरियों के लिये आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

राष्ट्रीयता

8. इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अम्बर्य-
(क) भारत का नागरिक हो; या
(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अम्बिप्राय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या
(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अम्बिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीका देश-केन्या, युगाण्डा या यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगनिका और जंजीबार) से प्रवजन किया हो :



परन्तु, उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु, यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अगिसूचना, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रहने दिया जायेगा जबकि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी-ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से ही इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

शैक्षिक अर्हताएं

9. सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, के साथ-साथ हिन्दी आशुलेखन में न्यूनतम गति 80 शब्द प्रति मिनट तथा कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की-डिप्रेसन प्रति घण्टा की गति तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्षीय कम्प्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य अर्हता होगी।

अधिमानि अर्हता

10. अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने-
 - (एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या
 - (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो;
 - (तीन) स्नातक/स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की हो।

आयु

11. सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी की आयु भर्ती के वर्ष की प्रथम जुलाई को 18 वर्ष की हो जानी चाहिए और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये :

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में, उच्चतर आयु सीमा चतुर्ने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

मृतपूर्व सैनिकों और कुछ अन्य श्रेणियों के लिये छूट

12. मृतपूर्व सैनिकों, अर्द्धसैनिक बलों, विकलांग सैनिकों, युद्ध में मृत सैनिकों के आश्रितों, उत्तराखण्ड सरकार के सेवकों की सेवा में रहते हुये मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों, खिलाफियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों और अन्य श्रेणियों के पक्ष में अधिकतम आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताओं में या भर्ती की किन्हीं प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं से छूट, यदि कोई हो, भर्ती के समय इस निमित्त प्रवृत्त सरकार के सामान्य नियमों और आदेशों के अनुसार होगी।

चरित्र

13. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदध्युक्त व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रारिथ्यति

14. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों तथा ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसका एक से अधिक पति जीवित है :

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता

15. किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वितीय हस्त पुस्तिका, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये मूलनियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।



परन्तु यह कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (केंद्रीय अधिनियम संख्या 49 वर्ष 2016) की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा।

भाग-पाँच भर्ती की प्रक्रिया

- | | | |
|----------------------------|-----|--|
| प्रक्रिया | 16. | सभी अधीनस्थ कार्यालयों में वैयक्तिक सहायक वर्गीय कर्मचारियों की भर्ती समूह "ग" के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया नियमावली में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार एक ही साथ की जायेगी। |
| सीधी भर्ती द्वारा | 17. | वैयक्तिक सहायक के पद पर भर्ती के प्रयोजनार्थ प्रतियोगी परीक्षा सरकार द्वारा नामित संस्था उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा किया जायेगा। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को, उनकी प्रवीणता-क्रम में, लिखित परीक्षा व प्रतियोगिता परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के योग के आधार पर एक सूची तैयार की जायेगी। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की यह सूची विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी योग में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। |
| भर्ती प्रति वर्ष की जायेगी | 18. | इस नियमावली के अधीन भर्ती के लिये चयन प्रतिवर्ष या जब कभी आवश्यक हो, किया जायेगा। |
| रिक्तियों की अवधारणा | 19. | नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम-7 के अधीन आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। रिक्तियों की सूचना उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजी जायेगी। |
| चयन प्रक्रिया | 20. | विभागीय चयन समिति के माध्यम से भरे जाने वाले समूह "ग" के पदों के लिये चयन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया नियमावली, 2008 में विहित की गयी हो। |

भाग-छ

नियुक्ति, परीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

- | | | |
|-------------------------------------|-----|---|
| नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति | 21. | नियम 17 में निर्दिष्ट चयन सूची चयन समिति द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अवधारित की जायेगी, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा चयन में प्राप्त कुल अंक उल्लिखित किये जायेंगे। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सामान्य और आरक्षित अभ्यर्थियों के नाम अभ्यर्थियों की योग्यतानुसार एक सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये जायेंगे और नियुक्ति का प्रस्ताव उसी क्रम में किया |
|-------------------------------------|-----|---|

परिवीक्षा

जायेगा जिसमें उनके नाम सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये गये हों। चयन सूची चयन के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये मान्य होगी।

- 22(1) जहाँ किसी विशिष्ट सेवा या पद के सम्बन्ध में लागू नियमों से अन्यथा उपबन्धित हो, उसके सिवाय विभाग/कार्यालय में, किसी स्थायी रिक्ति में, किसी पद पर नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा :

परन्तु, यह कि नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाये:

परन्तु, यह और कि परिवीक्षा अवधि किसी भी परिस्थिति में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

- (2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उस पद पर, जिस पर उसका धारणाधिकार हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं जिससे इनमें से किसी दशा में वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

- (3) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग के किसी पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को उस पद के लिये परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

23. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यथास्थिति, परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि उसका कार्य और आचरण अच्छा पाया जाये, उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये, और नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता

- 24(1) एतदपरचात यथाउपबन्धित के सिवाय इस नियमावली के अधीन नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस क्रम में, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायेगी :

परन्तु, यह कि यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाये तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा, और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।

N

- (2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी हो :
परन्तु, यह कि सीधे भर्ती किया गया कोई अन्यर्था अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारण की युक्तियुक्तता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिरुध्न्य अन्तिम होगा।

भाग-सात वेतन इत्यादि

वेतनमान

- 25(1) विभाग/कार्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हों, या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये।

परिवीक्षा अवधि में केतन

26. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतन-वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसे स्थायी कर दिया गया हो:

परन्तु, यह कि यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

- (2) ऐसे व्यक्ति को, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु, यह कि यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

- (3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग-आठ अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

27. पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर गाढ़े लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया

जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से, अपनी अभ्यर्थता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का
विनियमन

28. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, विभिन्न विभागों/कार्यालयों में पदों पर नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में
शिथिलता

29. जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि विभिन्न विभागों/कार्यालयों में पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामलों में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति

30. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग-2

संख्या: 15 /XXX-2/2018-30(10)2018
देहरादून दिनांक २१ मई, 2018

अधिसूचना संख्या 149 /XXX-2/2018-30(10)2018 दिनांक २१ मई, 2018 द्वारा
प्रख्यापित उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत वैयक्तिक सहायक संवर्गीय पदों पर
पदोन्नति हेतु पात्रता अधि का निर्धारण नियमावली, 2018 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, माओ मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
7. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. महानिदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
9. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
10. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
13. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
14. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
16. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि
कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग-4 में मुद्रित कराकर
इसकी 500 प्रतियों कार्मिक अनुभाग-2 को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
17. प्रभारी, मीडिया सेंटर, सचिवालय परिसर।
18. गार्ड फाईल।

संलग्नक :- यथोक्त।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग-2
संख्या 49 / XXX(2) / 2018-30(10) / 2018
देहरादून: 2/ मई, 2018,

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत वैयक्तिक सहायक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता की अवधि को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत वैयक्तिक सहायक संवर्गीय पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अधि क निर्धारण नियमावली, 2018

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत वैयक्तिक सहायक संवर्गीय पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अधि का निर्धारण नियमावली, 2018 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) नियम 2 के अध्याधीन रहते हुए यह नियमावली उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्रांतर्गत पदों के सिवाय, राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन वैयक्तिक सहायक वर्गीय संवर्ग के पदोन्नति कोटे के पदों पर लागू होगी।

2. इस नियमावली द्वारा सरकार के नियंत्रण में सभी अधीनस्थ कार्यालयों में वैयक्तिक सहायक संवर्गीय पदों पर पदोन्नति हेतु अहंता (जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित हो) और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर हो, आच्छादित होंगी, किन्तु इसके उपरन्व उत्तराखण्ड सचिवालय, राज्य विधान सभा, लोकायुक्त, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता के कार्यालय और उसके नियंत्रण में अधिष्ठान के पद आच्छादित नहीं होंगे।

3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में-

- (क) "संविधान" से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है;
- (ख) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;
- (ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "वैयक्तिक सहायक कर्मचारी संवर्ग" से राज्य सरकार के नियंत्रण में सभी अधीनस्थ कार्यालयों में ऐसे वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारी अभिप्रेत हैं, जो मुख्य वैयक्तिक अधिकारी, वैयक्तिक अधिकारी, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक तथा वैयक्तिक

अध्यारोही प्रभाव

परिभाषाएं

वैयक्तिक सहायक
वर्गीय कर्मचारी
संवर्ग के पदोन्नति
के पदों पर
प्रोन्नति हेतु
पात्रता सम्बन्धी
अधिकारी सेवावधि
का निर्धारण।

पदनाम परिवर्तन

सहायक के पदों पर नियुक्त हो;
(क) "अधीनस्थ पदों" से वैयक्तिक सहायक, वरिष्ठ
वैयक्तिक सहायक तथा वैयक्तिक अधिकारी में से
किन्हीं पदों पर की गई सेवा अभिप्रेत है;

4.(1) मुख्य वैयक्तिक अधिकारी—
मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वैयक्तिक अधिकारी,
जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप
में न्यूनतम 01 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा
अधीनस्थ पदों पर कम से कम 25 वर्ष की सेवा
पूर्ण की हो, में से "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते
हुए ज्येष्ठता" के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(2) वैयक्तिक अधिकारी—
मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ वैयक्तिक
सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को
इस रूप में न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली
हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 20 वर्ष
की सेवा पूर्ण की हो, में से "अनुपयुक्त को
अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" के आधार पर
पदोन्नति द्वारा।

(3) वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक—
मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वैयक्तिक सहायक,
जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप
में न्यूनतम 06 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से
"अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" के
आधार पर पदोन्नति द्वारा।

5. नियम 2 के अध्याधीन रहते हुए राज्य सरकार के
नियंत्रण में सभी विभागों में, जहाँ-जहाँ पदनाम
आरुलिपिक, वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 एवं
वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1 हैं, वहाँ-वहाँ पदनाम
क्रमशः वैयक्तिक सहायक, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक,
वैयक्तिक अधिकारी एवं मुख्य वैयक्तिक अधिकारी
होगा।

आज्ञा से,

(राधा प्रत्यूही)
प्रमुख सचिव।

82

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of notification no 149../XXX(2)/2018-30(10)/2018 dated 22... May, 2018 for general information.

Government of Uttarakhand
Personnel Section-2
No-149/XXX(2)/2018-30(10)/2018
Dehradun, Dated 22/ May, 2018

Notification
Miscellaneous

In exercise of the Powers conferred by the provisions to Article 309 of "the constitution of India" and in Suppression of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules for regulating the period of eligibility for promotion on the Posts of cadre of Personal Assistant Category under the State of Uttarakhand Services:

The Uttarakhand Determination of eligibility period for the Promotion of Personal Assistant Category posts under State, Rules, 2018

Short title and
Commencement

1.(1) These rules may be called the Uttarakhand Determination of eligibility for the promotion of personal Assistant category posts, under State, Rules, 2018

(2) It shall come into force at once.

(3) Subject to rule 2 this Rules except for the posts under the purview of Uttarakhand Public Service Commission, under the powers of the Governor to make rules, shall be applicable to the promotion of Personal Assistant category Cadre quota Posts.

Over riding effect

2. By this rules, eligibility for the promotion on Personal Assistant Cadre posts in all the subordinate offices under the control of Government (which are expected to be filled up by promotion) and outside of the purview of Uttarakhand Public Service Commission, shall be covered but its provisions shall not cover the posts in the office and control of Uttarakhand Secretariat, State Assembly, Lokayukta, Public Service Commission, High Court, High Court Advocate General.

Defination

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the Subject or context-

- (a) "Constitution" means "the Constitution of India";
 - (b) "Governor" means the Governor of Uttarakhand;
 - (c) "Government" means the State Government of Uttarakhand;
 - (d) "Personal Assistant Staff Cadre" means such Personal Assistant Staff cadre in all the Subordinate offices under the control of State
- He

**Determination of
eligibility Service
Period for Promotion
On Promotion of
Posts of Personal
Assistant Staff Cadre**

**Change of
Designation**

- Government, appointed on the posts of Chief Personal Officer, Personal Officer, Senior Personal Assistant and Personal Assistant;
- (e) "Subordinate Posts" means the service on any of the posts of Personal Assistant, Senior Personal Assistant and Personal Officer;
- 4.(1) Chief Personal Officer;
By promotion, from amongst Substantively appointed Personal Officer who have completed minimum 01 year of Service on such Capacity on the first day of the year of recruitment and have completed at least 25 years of service on subordinate posts, on the basis of Seniority subject to the rejection of unfit.
- (2) Personal Officer:-
By Promotion, from amongst substantively appointed Senior Personal Assistant, who have completed minimum 02 years of service on such capacity on the first day of the year of recruitment or have completed at least 20 years of service on subordinate posts, on the basis of Seniority subject to the rejection of unfit.
- (3) Senior Personal Assistant:-
By promotion, from amongst substantively appointed Personal Assistant, who have completed minimum 06 years of Services on such capacity, on the basis of Seniority Subject to the rejection of unfit.
5. Subject to rule 2, all departments under the control of State Government, where ever the designation Stenographer, Personal Assistant Grade-2 and Personal Assistant Grade-1, there shall be the designation Personal Assistant, Senior Personal Assistant, Personal Officer and Chief Personal Officer respectively.

By Order,

(Radha Raturi)
Principal Secretary